CERTIFICATE OF REGISTRATION

सत्यमेव जयते

SOCIETIES REGISTRATION ACT XXI OF 1860

Registration No. S/46538 of 2003.

I hereby certify that डा. गोस्वामी गिरिधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम् located at दिल्ली संस्कृत अकादमी प्लाट नं. 5, झण्डेवालान, नई दिल्ली - 5

has been registered under the "SOCIETIES REGISTRATION ACT (XXI) OF 1860".

Given under my hand at DELHI on this 28th day of July Two Thousand Three.

Registration Fee Rs. 50/- paid.

REGISTRAR OF SOCIETIES ★ GOVT. OF N.C.T. OF DELHI ★

Registrar of Societies
Delhi

(J.P.AGRAWAL)
REGISTRAR OF SOCIETIES
Govt. of N.C.T. of Delhi

Amended as on........................

Registrar of Society

डॉ० गोस्वामी गिरिधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम्

डॉ० गोस्वामी गिरिधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम् समिति का

संशोधित ज्ञापन पत्र

(1) **संस्था का नाम:** डॉ० गोस्वामी गिरिधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम्

(2) **कार्यालय :** डॉ० गोस्वामी गिरिधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम् का कर्यालय दिल्ली संस्कृत अकादमी, प्लाट नं.–5, झण्डेवालान होगा जो परिस्थिति के अनुसार दिल्ली में कहीं भी स्थानान्तरित हो सकता है। इस प्रतिष्ठान का कार्यक्षेत्र राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्ली होगा।

(3) **प्रतिष्ठान के उद्देश्यः–**

(१) संस्कृत भाषा एवं अन्य प्राच्य भारतीय भाषाओं में संस्कृत, तन्त्र, मन्त्र, योग, आध्यात्म, चिकित्सा, साहित्य, संगीत कला, पुरातत्व, अभिलेख, वास्तु, सैन्य, गणित, सगणक, भौतिक, रसायन, कृषि,पर्यटन, वन, प्राणि, भू, भूगर्भ, जल, पर्यावरण, काव्य शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन, सूचना प्रद्यौगिकी, अन्तरिक्ष, विद्युत्, धातु, ध्वनि, व्याकरण साहित्य आदि समस्त ज्ञान–विज्ञान, एवं तकनीकी शिक्षादि समस्त प्राच्य विभागों के अध्ययन एवं अध्यापन, शिक्षण प्रशिक्षण हेतु परीक्षाओं का संचालन करना तथा तत्सम्बन्धी संस्थाओं की स्थापना करना एवं शिक्षण व्यवस्था करना। इन उद्देश्यों को पूर्ण करने वाली संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करना।

(२) प्राच्य एवं आधुनिक वैज्ञानिक एवं अन्य विद्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन अध्यापन करना। साथ ही परम्परागत संस्कृत पाठशालाओं के पाठ्यक्रमानुसार परीक्षाओं की व्यवस्था ~~एवं उनका~~ संचालन करना। उन्हें सम्बद्धता देना।

(३) संस्कृत शिक्षा की प्राथमिक, माध्यमिक, स्नातक–स्नातकोत्तर, शोध स्तर की परीक्षाओं को चलाना तथा प्रमाण पत्र एवं उपाधि प्रदान करना। जिसकी मान्यता सभी विश्वविद्यालयों एवं भारत सरकार एवं प्रादेशिक सरकारों से प्राप्त करना दिल्ली सरकार की सेवाओं में इन परीक्षाओं को प्रथमिकता देना।

(४) सभी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को वैज्ञानिक अध्ययन–अध्यापन एवं प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना।

(५) सभी परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम बनाना एवं तत्सम्बन्धी समस्त सामाग्री का लेखन, सम्पादन एव प्रकाशन करना। इस प्रतिष्ठान के माध्यम से निम्नलिखित परीक्षायें संचालित होंगी। इन्हीं परीक्षाओं को सम्बद्धता दी जायेगी।

1. प्रथमा (त्रिवर्षीय) मिडिल स्तर
2. पूर्व मध्यमा (द्विवर्षीय) (दशम कक्षा स्तर)
3. उत्तर मध्यमा (द्विवर्षीय) (द्वादश कक्षा स्तर)
4. शास्त्री (त्रिवर्षीय) (स्नातक स्तर)
5. आचार्य (द्विवर्षीय) (परास्नातक स्तर)
6. शिक्षा शास्त्री (एक वर्षीय) (बी.एड.स्तर)
7. शिक्षाचार्य (एक वर्षीय) (एम.एड़)
8. विद्यावारिधि (द्विवर्षीय) (पी.एच.डी.स्तर)
8. विद्यावाचस्पति (द्विवर्षीय) (डी.लिट् स्तर)

भारत वर्ष में इस प्रकार के सभी संस्थानों में मुख्यतया इसी रूप में परीक्षायें एवं पाठ्यक्रम प्रचलित है। स्थिति के अनुसार समय-समय पर पाठ्यक्रम परिवर्तित एवं परिवर्धित भी हो सकते हैं।

(6) सभी छात्रों के लिए निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पाठ्य सामग्री एवं अन्य पुस्तक तैयार करना उसका सम्पादन व प्रकाशन करना, साथ ही विभिन्न प्रकार के शोध ग्रन्थ प्रकाशित करना। तत्सम्बन्धी सन्दर्भ ग्रन्थों को लिखना एवं प्रकाशित करना। इस प्रकरण से सम्बन्धित कार्यशालाओं का आयोजन करना।

(7) प्रतिष्ठान के संकायो में पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति, पुरस्कार, पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना परिरिस्थिति के अनुसार मेधावी छात्रों को छात्रावास भोजनादि की व्यवस्था करना, संवद्ध संस्कृत पाठशालाओं के छात्रों को भी उपर्युक्त सुविधाएं दी जायेगी।

(8) प्राच्य एवं अर्वाचीन समस्त साहित्य के एक सुसमृद्ध पुस्तकालय की स्थापना करना।

Registrar of Society 97

(9) संस्कृत एवं हिन्दी, अंग्रेजी में प्राच्य–विद्याओं की मासिक या त्रैमासिक शोध पत्रिका का प्रकाशन करना।

(10) प्रतिष्ठान के उद्देश्य की पूर्ति हेतु यदि प्राकृत व पाली भाषा में साहित्य प्राप्त होता है तो उन भाषाओं से सामग्री प्राप्त करना तथा उसका उपयोग करना।

(11) प्रतिष्ठान की शिक्षण संस्थाओं का शिक्षण का माध्यम संस्कृत हिन्दी, अंग्रेजी एवं अन्य भाषायें भी हो सकती हैं।

(12) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम १८६० की धारा (पंजाब संशोधन अधिनियम १८५७)के आधीन तथा उपेक्षित कार्य समिति के सदस्यों, जिनकी व्यवस्था में कार्य सौपे गये हैं। के नाम-व्यवसाय पते एवं पद निम्न प्रकार से हैं

क्र. सं.	नाम व पद	वर्तमान पता	समिति में पद	हस्ताक्षर
1.	माननीया श्रीमती शीला दीक्षित (मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार)	दिल्ली सचिवालय नई दिल्ली	अध्यक्ष (पदेन)	
2.	श्री कुलानन्द भारतीय (पूर्व शिक्षा मंत्री दिल्ली सरकार)	30/21 शक्ति नगर दिल्ली 07	उपाध्यक्ष	
3.	डॉ. योगानन्द शास्त्री पूर्व खाद्य एवं वित्तीय मंत्री दिल्ली सरकार	बी–24 गीतांजलि एन्क्लेव नई दिल्ली 17	सदस्य	
4.	डॉ. रमाकान्त गोस्वामी विधायक एवं संसदीय सचिव, दिल्ली सरकार	25/30, ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली 8	सदस्य	
5.	डॉ. इजराइल खां आचार्य (संस्कृत) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	एफ डी 56, नया कवि नगर, गाजियाबाद, उ० प्र०	सदस्य	
6.	पं. कृष्णदत्त शास्त्री समाजिक कार्यकर्ता एवं वैदिक, विद्वान्।	आर जैड–40/222,जे ब्लॉक, पश्चिम सागर पुर, नई दिल्ली 46	सदस्य	

Amended as on..........
4
Registrar of Society

0,6

7.	डॉ. पुष्पेन्द्र कुमार पूर्व प्राचार्य केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ एवं पूर्व (संस्कृत) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।	ए–2/146, सै.–5, रोहिणी, दिल्ली 85,	सदस्य
8.	डॉ. कृष्णलाल पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष (संस्कृत) दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली–7	ई–937, सरस्वती विहार दिल्ली	सदस्य
9.	श्रीमती गीता सागर सचिव (शिक्षा) दिल्ली सरकार	पुराना सचिवालय दिल्ली	सदस्य (पदेन)
10.	सुश्री नीता बाली सचिव (भाषा कला एवं संस्कृति) दिल्ली सरकार	दिल्ली सचिवालय नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)
11.	डॉ. श्रीकृष्ण सेमवाल सचिव, दिल्ली संस्कृत अकादमी	एस–1, बी–88, शालीमार गार्डन, एक्स–11, साहिबाबाद, गाजियाबाद	निदेशक/ सदस्य सचिव

(13) हम अधोहस्ताक्षरी संस्था के ज्ञापन पत्र का अनुसरण करते हुए संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 (पंजाब संशोधित अधिनियम 1957) के आधीन डॉ. गोस्वामी गिरिधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम् समिति प्लाट नं.–5, झण्डेवालान, करोल बाग, नई दिल्ली के नाम से इस संस्था की स्थापना करने तथा इसको पंजीकृत कराने के इच्छुक हैं।

क्र. सं.	नाम व पद	वर्तमान पता	समिति में पद	हस्ताक्षर
1.	माननीया श्रीमती शीला दीक्षित (मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार)	दिल्ली सचिवालय नई दिल्ली	अध्यक्ष (पदेन)	
2.	श्री कुलानन्द भारतीय (पूर्व शिक्षा मंत्री दिल्ली सरकार)	30/21, शक्ति नगर दिल्ली–07	उपाध्यक्ष	

Registrar of Society

3.	डॉ. योगानन्द शास्त्री पूर्व खाद्य एवं वित्तीय मंत्री दिल्ली सरकार	बी–24, गीतांजलि एन्क्लेव नई दिल्ली–17,	सदस्य
4.	डॉ. रमाकान्त गोस्वामी विधायक एवं संसदीय सचिव, दिल्ली सरकार	25/30, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली 8	सदस्य
5.	डॉ. इजराइल खां आचार्य (संस्कृत) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	एफ डी 56, नया कवि नगर, गाजियाबाद, उ0 प्र0	सदस्य
6.	पं. कृष्णदत्त शास्त्री समाजिक कार्यकर्ता एवं वैदिक, विद्वान।	आर जैड–40/222 जे ब्लॉक, पश्चिम सागर पुर, नई दिल्ली 46	सदस्य
7.	डॉ. पुष्पेन्द्र कुमार पूर्व प्राचार्य केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ एवं पूर्व (संस्कृत) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।	ए–2/146, बी–5, रोहिणी दिल्ली 85,	सदस्य
8.	डॉ. कृष्णलाल पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष (संस्कृत) दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली–7	ई–937, सरस्वती विहार दिल्ली	सदस्य
9.	श्रीमती गीता सागर सचिव (शिक्षा) दिल्ली सरकार	पुराना सचिवालय दिल्ली	सदस्य (पदेन)
10.	सुश्री नीता बाली सचिव (भाषा,कला एवं संस्कृति) दिल्ली सरकार	दिल्ली सचिवालय नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)
11.	डॉ. श्रीकृष्ण सेमवाल सचिव, दिल्ली संस्कृत अकादमी	एस–1, बी–88, शालीमार गार्डन एक्स–11, साहिबावाद, गाजियाबाद, उ.प्र.	निदेशक/सदस्य सचिव

Registrar of Society

94

प्रमाणित किया जाता है कि इस संस्था का उल्लेखन पत्र के अतिरिक्त कोई पहचान पत्र नहीं है।

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभावी समिति पंजीकरण अधिनियम १८६० का प्रावधान पंजाब संशोधन अधिनियम १९५७ के समस्त उपबन्ध इस संस्था पर लागू होंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि इस संस्था का यह ज्ञापन पत्र माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक 18.06.2002 को गठित समिति की दिनांक 10.07.2002 की बैठक में स्वीकृत किया गया जिसका अनुमोदन उचित प्रक्रिया से माननीया मुख्यमन्त्री महोदया ने दिनांक 10.06.2003 को किया।

ह./–	ह./–	ह./–
(शीला दीक्षित)	(कुलानन्द भरतीय)	(डॉ. श्रीकृष्ण सेमवाल)
अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	निदेशक / सदस्य सचिव,
दिल्ली सरकार दिल्ली		

(कुलानन्द भारतीय)	(श्रीकृष्ण सेमवाल)	(डॉ. पुष्पेन्द्र कुमार)
उपाध्यक्ष	निदेशक / सचिव	वरिष्ठ सदस्य
प्रतिष्ठान	प्रतिष्ठान	प्रतिष्ठान

Amended on 28.2.09 — 7

Registrar of Society

93

डॉ० गोस्वामी गिरिधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम्

समिति के नियम एवं उप नियम

(1) डॉ० गोस्वामी गिरिधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम् दिल्ली सरकार होगा।

(2) संस्था का नाम: डॉ० गोस्वामी गिरिधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम् समिति दिल्ली सरकार का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में होगा । निम्नलिखित सभी नियम उप नियम इस प्रतिष्ठान पर लागू होंगे।

(3) जब तक सन्दर्भ में अपेक्षित न हो नियम एवं उपनियमों में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्द एवं पदों का अभिप्राय निम्नलिखित है।

(अ) प्रतिष्ठानम् का अभिप्राय डॉ० गोस्वामी गिरिधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम् से है।

(आ) अधिनियम से अभिप्राय दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त समिति पंजीकरण अधिनियम 1960 / 1957 के पंजाब संशोधन अधिनियम से है।

(इ) समिति से अभिप्राय 'डॉ० गोस्वामी गिरिधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम् की समिति से है।

(ई) 'सदस्य' से अभिप्राय इस समिति के सदस्य से है।

(उ) 'शासी परिषद्' का अभिप्राय प्रतिष्ठान के नियमों के अन्तर्गत गठित समिति से है।

(ऊ) विद्या परिषद् का अभिप्राय प्रतिष्ठान के नियमों द्वारा गठित समिति से है।

(ए) 'अर्थ समिति' से अभिप्राय है कि प्रतिष्ठान के नियमों द्वारा गठित समिति है।

(ऐ) 'अध्यक्ष' से अभिप्राय है कि प्रतिष्ठान की समिति के अध्यक्ष से है।

(ओ) 'निदेशक / सचिव' से अभिप्राय है कि प्रतिष्ठान के कार्यकारी अधिकारी से है।

(4) सामान्य समिति:—

डॉ. गोस्वामी गिरिधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम् की समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे जिनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

1. मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार — अध्यक्ष — पदेन
2. समिति के सदस्यों में से एक वरिष्ठ व्यक्ति को माननीया मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष, की हैसियत से इस संस्था का उपाध्यक्ष नामित करेगी।

Amended as on.........

92

3. मुख्यमन्त्री/अध्यक्ष प्रतिष्ठान दिल्ली से प्रतिष्ठान की समिति के सदस्य के रूप में कम से कम 11 सदस्यों को नामित करेंगे जो संस्कृत एवं प्राच्य विद्याओं में निहित ज्ञान-विज्ञान तथा संस्कृत में निहित समस्त विद्याओं के प्रति निष्ठा रखते हों तथा इस प्रतिष्ठान के उद्देश्यों की अभिवृद्धि के लिए उपयोगी हों, इस समिति में भारत सरकार एवं दिल्ली सरकार के कर्मचारी हो या दिल्ली के गैर सरकारी व्यक्ति हों वे ही शामिल होंगे, जो प्रतिष्ठान के उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान् हों। संस्कृत अकादमी का सचिव पदेन सदस्य होगा। अध्यक्ष चाहे तो सचिव के स्थान पर उपाध्यक्ष अकादमी को भी पदेन सदस्य मनोनीत कर सकते हैं और चाहे तो एक-एक प्रतिनिधि वित्त एवं शिक्षा विभाग से पदेन सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकते हैं। डॉ. गोस्वामी जी से प्रामाणिक रूप से जुड़ा व्यक्ति भी प्रतिष्ठान की समिति का सदस्य होगा।

4. उपर्युक्त खण्ड में वर्णित शर्तों के आधार पर मुख्यमन्त्री (दिल्ली सरकार) प्रतिष्ठान के अध्यक्ष की हैसियत से प्रतिष्ठान के कार्यों को सुचारु रूप से संचालन हेतु एक निदेशक की नियुक्ति करेंगी। जो कि संस्कृत भाषा का समर्पित विद्वान् संस्कृत की केन्द्रीय या राज्य स्तरीय सरकारी या सरकार की स्वायत्त संस्था का कम से कम बारह वर्ष तक पूर्ण रूप से कार्यकारी अधिकारी की हैसियत से अनुभव रखता हो, साथ ही लेखन सम्पादन, प्रकाशन, सम्मेलन, संगोष्ठी आदि कार्यों के संचालन का अनुभव रखता हो तथा साथ ही संस्कृत की स्नातकोत्तर प्राच्य एवं अर्वाचीन उपाधि प्राप्त हो निदेशक पदेन इस समिति का सदस्य/सचिव होगा।

(5) प्रतिष्ठान की सदस्यता की शर्तें-

पदेन जिन सदस्यों की प्रतिष्ठान की समिति में नियुक्ति किया जाता है उनकी अकादमी की सदस्यता उनके पद से हटते ही समाप्त हो जायेगी।

1- पदेन सदस्यों से भिन्न प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उसकी नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष पूर्ण होगा किन्तु पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता।

2- यदि कोई सदस्य त्याग पत्र देता है विक्षिप्र हो जाता है। दिवालिया घोषित हो जाता है अथवा उसके नैतिक अक्षमतायुक्त सहित किसी फौजदारी के अपराध में

दोषी ठहराया जाता है अथवा बगैर किसी वैध कारण के लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थिति रहने के कारण अथवा अध्यक्ष द्वारा सुविचारित किसी अन्य कारण से प्रतिष्ठान की सदस्यता को उनके द्वारा हटा दिया जाता है तो उस सम्बन्ध में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

3- पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य जब प्रतिष्ठान की सदस्यता से त्याग पत्र देता है तो वह प्रतिष्ठान के अध्यक्ष को सम्बोधित करके भेजेगा एवं त्याग पत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकार करने की तिथि से प्रभावी होगा।

4- पदेन सदस्य से भिन्न प्रतिष्ठान की सदस्यता की कोई भी रिक्ति अध्यक्ष दिल्ली द्वारा भरी जायेगी एवं ऐसा नियुक्त व्यक्ति प्रतिष्ठान की अनवीती अवधि तक के लिए पदासीन रहेगा।

5- प्रतिष्ठान में कोई भी पद रिक्त होने तथा इसके किसी सदस्य के नामित अथवा नियुक्त न किये जाने अथवा उसमें कोई त्रुटि रहने के बावजूद प्रतिष्ठान अपना कार्य करता रहेगा।

6- दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री दिल्ली प्रतिष्ठान की अध्यक्ष होंगी।

7- उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे यदि अध्यक्ष उन्हें अपने अधिकारों को स्थानान्तरित कर सकते हैं।

(6) प्रतिष्ठान का निदेशक –

1. अध्यक्ष द्वारा एक वैतनिक एवं नियमित अधिकारी को निदेशक के रूप में नियुक्त किया जायेगा। निदेशक प्रतिष्ठान के कार्यालय का पूर्ण रूप से कार्यकारी अधिकारी होगा।
2. निदेशक अध्यक्ष के पूर्ण पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन के अधीन प्रतिष्ठान के दिन–प्रतिदिन के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा।
3. निदेशक को प्रतिष्ठान के कार्यों को सुचारू रूप में चलाने के लिए समिति द्वारा आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराये जायेंगे।

Registrar of Society

4. संस्था द्वारा दिये जाने वाले निदेशों के अधीन निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा जो कि अध्यक्ष के निर्देशन एवं मार्गदर्शन से प्रतिष्ठान के समुचित प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

5. निदेशक, प्रतिष्ठान की वार्षिक रिपोर्ट उसका लेखा तथा बजट सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा।

6. निदेशक कर्मचारियों के कर्तव्य निर्धारित करेगा तथा कार्यालय पर यथा आवश्यक पर्यवेक्षण तथा अनुशासनिक नियंत्रण रखेगा। कर्तव्य विमुख एवं अनुशासनहीन कर्मचारी पर वैधानिक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

7. निदेशक प्रतिष्ठान के समस्त उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा। सरकार प्रतिष्ठान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें उचित अनुदान उपलब्ध करायेगी।

8. निदेशक का स्तर राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान भारत सरकार या तत्समकक्ष संस्थानों के समान होगा। वेतन आदि की सीमा भी तद्वत् ही होगी। निदेशक की अधिकतम आयु सीमा 70 (सत्तर) वर्ष तक होगी।

9. निदेशक का कार्यकाल एक बार में चार वर्ष का होगा।

REGISTRAR OF SOCIETIES DELHI

(7) प्रतिष्ठान की बैठकः—

1. प्रतिष्ठान की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी। प्रतिष्ठान की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों को कम से कम 15 दिन पहले सूचित किया जायेगा।
2. निदेशक अध्यक्ष से परामर्श करने के बाद बैठक बुलायेगा।
3. प्रतिष्ठान की बैठक के लिए 3/4 सदस्यों को कोरम की अपेक्षा होगी परन्तु उस बैठक का अधिसूचित कार्य करने के लिए कोई कोरम आवश्यक नहीं होगा जो इसके कोरम के अभाव मे स्थगित कर दी गई हो।
4. बैठक में उपस्थित सदस्यों में से अधिकांश सदस्यों के निर्णय को प्रतिष्ठान का निर्णय समझा जायेगा।
5. प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का अभिलेख रखा जायेगा।

Registrar of Society

6. यदि कोई सदस्य बिना सूचना के वैध कारणों के अभाव में तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो अध्यक्ष द्वारा निर्देश प्राप्त होने के बाद उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

7. वर्ष की पहली बैठक जो सामान्यतया 31 मार्च से पहले आयोजित होगी। जो वार्षिक सामान्य बैठक होगी। विशेष परिस्थिति में पहिले भी बैठक बुलाई जा सकती है।

(क) यह मांग प्रतिष्ठान के कम से कम 3/4 सदस्यों द्वारा की गई है।

(ख) उक्त मांग सम्बन्धित सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ निदेशक/सचिव के समक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत की गई हो।

(ग) जिस कारण बैठक बुलाने की आवश्यता पड़ी उसके विषय का उल्लेख विशेष रूप से किया गया हो।

8. सामान्य वार्षिक बैठक में होने वाली कार्यवाही।

9. प्रतिष्ठान की सामान्य बैठक में निदेशक निम्नलिखित मदें रखेंगे।

(क) प्रतिष्ठान का वार्षिक बजट जिसमें अगले वित्त वर्ष के लिए सम्भावित आय और व्यय के अनुमान का उल्लेख हो तथा चालू वर्ष की पूरक मांगें।

(ख) प्रतिष्ठान के कार्यचालन से सम्बन्धित पिछले वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट तथा भविष्य के कार्यक्रम की रूपरेखा।

(ग) प्रतिष्ठान की सम्मति परिसम्मति तथा देयता से सम्बन्धित तुलना पत्र और लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत् प्रमाणित (प्रतिष्ठान का) पिछले वित्त वर्ष का वित्तीय विवरण।

(घ) कोई अन्य विषय जिसे अध्यक्ष की अनुमति से विधिवत् प्रस्तुत किया जाएगा।

(ङ) तुलना पत्र की प्रतियॉं, वित्तीय विवरण तथा निदेशक प्रतिष्ठान प्रतिवर्ष कार्य संचालन की आख्या मुख्यमन्त्री (अध्यक्ष) एवं दिल्ली सरकार के सम्बन्धित विभाग को वार्षिक बैठक के एक मास के अन्तर्गत प्रषित करेगा।

(8) शासी परिषद् :–

1. इस परिषद के निम्नलिखित सदस्य होगेः–

1. प्रतिष्ठान के अध्यक्ष .... अध्यक्ष

2. प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष............................उपाध्यक्ष

Registrar of Society

88

3. प्रतिष्ठान की समिति से सदस्य माननीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होंगे।

4. प्रतिष्ठान के निदेशक परिषद् के सदस्य सचिव होंगे।

2. प्रतिष्ठान की समिति की भाँति शासी परिषद् का कार्यकाल भी तीन वर्ष का होगा।

3. यदि कोई सदस्य बिना सूचना के बैध करणों के अभाव में तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो अध्यक्ष द्वारा निर्देश प्राप्त होने के बाद उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

(क) शांसी परिषद् की शक्तियॉ

1. परिषद् नीति सम्बन्धी मामलों पर प्रतिष्ठान के निर्णयों को कार्यान्वित करेगी। तथा प्रतिष्ठान के समस्त संचालन व कार्यों को चलाने की व्यवस्था करेगी।
2. शासी परिषद् के अधीन वे समस्त शक्तियॉं होगी जो प्रतिष्ठान के ज्ञापन में उल्लिखित प्रतिष्ठान के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक तथा कालोचित हों। साथ ही प्रतिष्ठान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नीति एवं नियम बनाना तथा उनका कार्यान्वयन करना।
3. अपना कार्य और प्रशासन चलाने के लिए नियम बनाना अथवा परिवर्तन करना।
4. प्रतिष्ठान के कर्मचारियों की नियुक्ति पदोन्नति, कार्यभार मुक्त तथा पदच्युत करना एवं पदों का आवश्यकतानुसार सृजन करना।
5. प्रतिष्ठान के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को निर्धारित करना।
6. प्रतिष्ठान के लिए सरकार से तथान्य स्रोतों से निधि प्राप्त करना उसे रखना तथा खर्च करना तथा इसकी (आमदनी की) सम्पत्ति तथा कार्यकलापों का प्रबन्ध देखना।
7. प्रतिष्ठान की पूर्व अनुमति से तथा अध्यक्ष की स्वीकृति के अधीन कोई सम्पत्ति खरीदना उसे ऋण पर लेना अन्यथा सम्पत्ति अधिग्रहीत करना अथवा बेचना।
8. प्रतिष्ठान के किसी कार्य को सामान्य रूप से चलाने हेतु अथवा तदर्थ प्रयोजन के लिए एक अथवा अधिक उप समितियों की नियुक्ति करना।
9. किसी सदस्य अथवा सदस्यों को तथान्य किसी विशेष व्यक्ति, को (तीन से अधिक नहीं) किसी कार्य में उसका परामर्श लेने के लिए सहयोजित करना।

(ख) शासी परिषद् की बैठक :—

1. परिषद् की बैठक दो महीने में कम से कम एक वार अवश्य आयोजित होगी तथा प्रत्येक ऐसी बैठक के लिए तीन दिन पहले सूचित किया जाएगा। परन्तु आपात् बैठक २ घण्टे की सूचना पर बुलाई जा सकती है।
2. निदेशक, परिषद् के संयोजक होंगे तथा अध्यक्ष से परामर्श के बाद बैठक वुलायेंगे।
3. निदेशक द्वारा ऐसी प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का उल्लेख रखा जायेगा।
4. मौजूदा सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया गया निर्णय समिति का निर्णय माना जायेगा।
5. व्यक्तिगत रूप से एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति पर कौरम पूरा समझा जायेगा। परन्तु उस बैठक के अधिसूचित कार्य करने के लिए कोई कोरम अपेक्षित नहीं होगी जो कौरम के अभाव में स्थगित कर दी गई है।
6. अध्यक्ष तथा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यदि नामित हो तो परिषद् की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे परन्तु किसी बैठक में यदि दोनों ही अनुपस्थित होते है तो उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने आप में से चुने गए सदस्य ही अध्यक्षता करेंगे।

(9) विद्यापरिषद :—

1. विद्या परिषद् में भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों एवं संस्था [illegible]दवद विषयक प्रतिष्ठित आचार्य/विद्वान् सदस्य होंगे। जिनकी संख्या कम से कम 25 होगी, इस परिषद् के अध्यक्ष प्रतिष्ठान के निदेशक होंगे। संयोजक प्रतिष्ठान के उप निदेशक (शैक्षणिक) होंगे इन विद्वानों का चयन निदेशक, प्रतिष्ठान करेंगे।
2. यह परिषद् प्रतिष्ठान की परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम , पाठ्य पुस्तक परीक्षाओं की मूल्याकन पद्धति इसके अतिरिक्त शिक्षण सम्बन्धी समस्त नीति निर्धारण करेगी। जिसका अनुमोदन शासी परिषद से आवश्यक होगा।

Registrar of Society

(10) अर्थ समिति –

1 प्रतिष्ठान की अर्थ समिति समस्त वित्तीय मामलों का अवलोकन करेगी वार्षिक वजट का प्रावधान बनायेगी। जिसका अनुमोदन शासी परिषद/ सामान्य समिति से आवश्यक होगा।

इस समिति का अध्यक्ष प्रतिष्ठान का उपाध्यक्ष होगा। निदेशक इस समिति का सदस्य–सचिव होगा। जिनका समिति में तीन अन्य सदस्य होगें, मनोनय अध्यक्ष द्वारा होगा।

(11) वित्त लेखा एव लेखा परीक्षा–

1. प्रतिष्ठान उपयुक्त लेखा तथा अन्य सम्बन्धित अभिलेख रखेगी।
2. प्रतिष्ठान के लेखा की प्रतिष्ठान द्वारा नियुक्त किये गये लेखा परीक्षकों द्वारा वार्षिक जॉच की जायेगी।

(12) कोषाध्यक्ष :–

1. प्रतिष्ठान की शासी परिषद वित्तीय नियमों तथा विनियमों के पर्याप्त ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को प्रतिष्ठान का कोषाध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं।
2. बैंक में लेखा उप निदेशक (वित्त) और निदेशक स्वयं [illegible] के अधीन रखेंगे। उप निदेशक (वित्त) के अभाव में निदेशक [illegible] रूप से शासी परिषद का सदस्य बैंक खातों का ज्ञाता कोषाध्यक्ष का कार्य करेगा जिसका मनोनयन शासी परिषद् करेगी।

(13) सामान्य उपबन्ध :–

1. प्रतिष्ठान की सम्पत्ति से हुई आय संस्था के ज्ञापन में उल्लिखित उद्देश्यों की संवृद्धि के लिए खर्च की जायेगी। प्रतिष्ठान की किसी सम्पति अथवा आय के किसी भाग की किसी पूर्व अथवा वर्तमान सदस्य को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से लाभाश वोनस अथवा अन्य रूप से हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

Registrar of Society

2. प्रतिष्ठान से सम्बन्धित सभी संविदायें और अन्य दस्तावेज स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठान के नाम में किये जायेंगे तथा समिति के कार्य निदेशक एवं उस प्रयोजन के लिए शासी परिषद् द्वारा नामित सदस्य प्रतिष्ठान की ओर से उसे निष्पादित करेंगे।

3. प्रतिष्ठान द्वारा नियुक्त किये गये इसके अथवा किसी शासी परिषद् समिति के सदस्य जो दिल्ली सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा सांविधिक निकायों के कर्मचारी है वे अपने सरकारी सांविधिक निकायों से सम्बन्धित नियमों के अनुसार यात्रा आदि दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे। प्रतिष्ठान के अन्य सदस्य भारत सरकार के प्रथम श्रेणी कर्मचारियों के लिए ग्राह्य भत्तें के अधिकारी होंगे।

4. इन नियमों की व्याख्या व्यवस्थित मामलों के स्वीकृति से कोई विवाद उठ खड़ा होने पर उसे अध्यक्ष महोदय के पास भेजा जायेगा और उस पर उनका निर्णय अन्तिम होगा।

(14) भंग किया जाना :–

आवश्यक होने पर सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा एवं 14 के अनुसार निर्धारित उपबन्धों के अधीन भंग किया जा सकता है।

(15) नियमों में संशोधन :–

संशोधन के प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलायी गयी प्रतिष्ठान की सामान्य बैठक में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 12 एवं 12 (क) के अनुसार निर्धारित उपबंधो के अधीन नियमों को संशोधित परिवर्धित अथवा परिवर्तित किया जा सकता है।

(16) मुकदमें :–

'डॉ० गोस्वामी गिरिधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम्' सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 6 के अनुसार 'डॉ० गोस्वामी गिरिधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम्' के नाम से अपने निदेशक

Registrar of Society

2. प्रतिष्ठान से सम्बन्धित सभी संविदायें और अन्य दस्तावेज स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठान के नाम में किये जायेंगे तथा समिति के कार्य निदेशक एवं उस प्रयोजन के लिए शासी परिषद् द्वारा नामित सदस्य प्रतिष्ठान की ओर से उसे निष्पादित करेंगे।

3. प्रतिष्ठान द्वारा नियुक्त किये गये इसके अथवा किसी शासी परिषद् समिति के सदस्य जो दिल्ली सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा सांविधिक निकायों के कर्मचारी है वे अपने सरकारी सांविधिक निकायों से सम्बन्धित नियमों के अनुसार यात्रा आदि दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे। प्रतिष्ठान के अन्य सदस्य भारत सरकार के प्रथम श्रेणी कर्मचारियों के लिए ग्राह्य भत्तें के अधिकारी होंगे।

4. इन नियमों की व्याख्या व्यवस्थित मामलों के स्वीकृति से कोई विवाद उठ खड़ा होने पर उसे अध्यक्ष महोदय के पास भेजा जायेगा और उस पर उनका निर्णय अन्तिम होगा।

(14) भंग किया जाना :—

आवश्यक होने पर सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा एवं 14 के अनुसार निर्धारित उपबन्धों के अधीन भंग किया जा सकता है।

(15) नियमों में संशोधन :—

संशोधन के प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलायी गयी प्रतिष्ठान की सामान्य बैठक में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 12 एवं 12 (क) के अनुसार निर्धारित उपवंधो के अधीन नियमों को संशोधित परिवर्धित अथवा परिवर्तित किया जा सकता है।

(16) मुकदमें :—

'डॉ० गोस्वामी गिरिधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम्' सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 6 के अनुसार 'डॉ० गोस्वामी गिरिधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम्' के नाम से अपने निदेशक